



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2009/श्रावण 15, 1931

No. 444]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2009/SRAVANA 15, 1931

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 566(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी (प्रमाणकर्ता प्राधिकारी) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी (प्रमाणकर्ता प्राधिकारी) संशोधन नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सूचना प्रौद्योगिकी (प्रमाणकर्ता प्राधिकारी) नियम, 2000 के नियम 6 में "एम डी 5 और एस एच ए-1" अक्षर, अंकों और शब्दों के स्थान पर, "एस एच ए-1 और एस एच ए-2" अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 9(2)/02-ईसी]

एन. रवि शंकर, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 789(अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चात्पूर्ति संशोधन संख्यांक सा.का.नि. 902(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2003, सा.का.नि. 285(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2004, सा.का.नि. 535(अ), तारीख 20 अगस्त, 2004, सा.का.नि. 245(अ), तारीख 21 अप्रैल, 2005 और सा.का.नि. 32(अ), तारीख 18 जनवरी, 2006 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2009

G.S.R. 566(E).—In exercise of the powers conferred by Section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules further to amend Information Technology (Certifying Authorities) Rules, 2000, namely :—

1. (1) These rules may be called Information Technology (Certifying Authorities) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Information Technology (Certifying Authorities) Rules, 2000, in rule 6 for the letters, figures and words "MD 5 and SHA-1", the letters, figures and words "SHA-1 and SHA-2" shall be substituted.

[F.No.9(2)/02-EC]

N. RAVI SHANKER, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published *vide* number G.S.R. 789(E), dated the 17th October, 2000 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 902(E), dated 21st November, 2003, G.S.R. 285(E), dated 23rd April, 2004, G.S.R. 535(E), dated 20th August, 2004, G.S.R. 245(E), dated 21st April, 2005 and G.S.R. 32(E), dated 18th January, 2006.